सम्पर्क ❖ सहयोग ❖ संस्कार ❖ सेवा ❖ समर्पण

भारत विकास परिषद्
Bharat Vikas Parishad

महिला सहभागिता

भारत विकास परिषद् प्रकाशन

RASHTRADEVO BHAV ❖ राष्ट्रदेवो भव

महिला सहभागिता

भारत विकास परिषद् समाज में विभिन्न व्यवसायों एवं कार्यों में लगे श्रेष्ठतम व्यक्तियों का एक गैर राजनैतिक अन्तर्राष्ट्रीय समाजसेवी एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका उद्देय भारतीय मूल्यों, संस्कारों, आस्थाओं एवं परम्पराओं के संदर्भ में भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राष्ट्रीय एवं आध्यामिक सभी प्रकार का विकास निहित है। यह उल्लेखनीय है कि भारत विकास परिषद् में अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं की तुलना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिये इसके प्रथम सूत्र **'सम्पर्क'** के अन्तर्गत **'महिला सहभागिता'** को एक प्रकल्प के रुप में अपनाया गया है। परिषद का विश्वास है कि महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के बिना कोई भी प्रगति या विकास सम्भव नहीं है क्योंकि महिलायें समाज के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। वास्तव में मानव जन्म से लेकर उसके लालन-पालन और विकास का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं की सहभागिता न हो।

ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है। उसने दो आँखें, दो कान, दो हाथ और दो पाँव दिये हैं। दोनों आँखें जो देखती हैं और दोनों कान जो कुछ सुनते हैं उस पथ पर दोनों पाँव बढ़ते हैं और दोनों हाथ उस कार्य को सम्पन्न करते हैं। लेकिन सब कुछ दो होते हुये भी एक समय में एक ही कार्य पूर्ण होता है। इस संदर्भ में ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप महिला एवं पुरुष की संयुक्त इकाई मिलकर जो कार्य करती हैं व अधिक पूर्ण, सफल एवं प्रभावी होता है। भारतीय संस्कृति में विविध धार्मिक एवं सामाजिक कार्य तो महिलाओं की भागीदारी के बिना पूर्ण ही नहीं माने जाते।

भारत विकास परिषद् की कार्य प्रणाली की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि सदस्यता केवल पुरुष या महिला को नहीं, वरन् दम्पत्ति को दी जाती है और सदस्य अपनी इच्छानुसार पति या पत्नी किसी के नाम को सदस्यता में पहले अंकित करा सकते हैं। दम्पत्ति सदस्यता के आधार पर पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं और दोनों किसी भी पद पर कार्य करने के लिये समान अधिकार रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दम्पत्ति सदस्यता के माध्यम से पूरे परिवार को परिषद् के कार्य कलापों से सक्रिय रूप से जोड़ा जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी रूचि एवं क्षमता के अनुसार योगदान करता है।

महिला सहभागिता प्रकल्प में यह स्वीकार किया गया है कि महिलाओं की भागीदारी केवल दम्पत्ति सदस्य के रूप में पति के साथ सहयोगी उपस्थिति के रूप में ही न हो, वरन संगठन व्यवस्था, कार्यक्रमों की परिकल्पना एवं कार्यक्रमों के आयोजन में भी उनकी सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी हो, जिससे महिलाओं की प्रतिभा को मान्यता मिले, उनके आत्म विश्वास में वृद्धि हो और उनकी योग्यता तथा क्षमता का लाभ परिषद् द्वारा समाज के लिये किये जाने वाले 'सेवा' एवं 'संस्कार' के कार्यक्रमों में मिल सके। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ 'सहभागिता' शब्द पर ज़ोर दिया गया है, जिसका स्पष्ट आशय है कि महिलायें पुरुषों के साथ क़दम से क़दम मिलाकर परिषद् के क्रियाकलापों के विस्तार एवं उन्हें प्रभावी बनाने में अपना योगदान दें।

महिला सहभागिता की भावना का सृजन

परिषद् में महिला सहभागिता की भावना को सृजित करने के लिये निम्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए–

- सदस्यता की रसीद दम्पत्ति के पूर्ण नाम अर्थात् महिला एवं पुरुष दोनों के संयुक्त नाम से दी जानी चाहिए।
- सदस्यता शपथ समारोह में दम्पत्ति के रूप में ही शपथ लेने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।
- बैठकों एवं कार्यक्रमों में सप्तनीक आने के लिए आग्रह करना चाहिए।
- कार्यक्रमों की उपस्थिति पंजिका में पत्नी के उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति भी अंकित होनी चाहिए।
- पते और फोन निर्देशिका में पति–पत्नी दोनों का नाम एवं व्यवसाय का उल्लेख होना चाहिए।
- शाखा स्तर पर सदस्यों को भेजे जाने वाली सूचनाओं/आमंत्रण पत्रों इत्यादि पर पते के रूप में पति एवं पत्नी दोनों का नाम अंकित होना चाहिए।
- शाखा, प्रान्त, ज़ोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला सहभागिता, संयोजिका का मनोनयन किया जाना चाहिए।

महिला सहभागिता को प्रोत्साहन

- शाखा एवं प्रान्तीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- जिस नगर में एक से अधिक शाखायें हों, वहाँ कम से कम एक शाखा का महिला उन्मुख शाखा के रूप में गठन का प्रयास रहना चाहिये, जो कार्यक्रमों में स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म देगी।
- ऐसे पुरुष सदस्यों को सम्मानित करना चाहिये जो अपनी पत्नियों को परिषद् के सेवा एवं संस्कार के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करें एवं सहयोग प्रदान करें।
- प्रान्तीय/क्षेत्रीय स्तर पर महिला सहभागिता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिये।
- महिला सहभागिता के वार्षिक कैलेण्डर की व्यवस्था एवं केन्द्र द्वारा विभिन्न स्तरों पर इसका प्रेषण किया जाना चाहिये।

महिला सहभागिता उन्मुख कार्यक्रम

सम्पर्क कार्यक्रम–

महिला पदाधिकारियों/सदस्यों के संभावित उत्तरदायित्व–

- सदस्यों को मीटिंग में आने के लिये अनुरोध करने का उत्तरदायित्व।
- सदस्यों के जन्म एवं वैवाहिक तिथि पर शुभकामना प्रेषित करने का उत्तरदायित्व।
- नये सदस्यों एवं नवीन शाखाओं को जोड़ने में भूमिका।

संस्कार कार्यक्रम–

- मेंहदी, रंगोली, पूजा थाली सज्जा, सलाद एवं पकवान प्रतियोगितायें।
- मासिक आधार पर भजन संध्या, सुन्दरकाण्ड का पाठ।
- संगीत, नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगितायें।
- होली, दीपावली, श्रावणी, बसन्त, नववर्ष आदि महोत्सवों का आयोजन।
- अवकाश दिवसों में बाल संस्कार कार्यक्रमों का आयोजन।

सहयोग कार्यक्रम–

- मासिक आधार पर महिला सदस्यों की 'सहयोग बचत निधि' बैठकों का आयोजन।
- मासिक बैठकों में पारस्परिक हित के विषयों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श।

सेवा कार्यक्रम–

- महिला साक्षरता कार्यक्रम।
- स्वास्थ्य शिविर और विशेष रूप से महिला एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था में महिला सदस्यों की विशिष्ट भागीदारी।
- निर्धन वर्ग की लड़कियों के लिए सिलाई, कढ़ाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र।
- स्वास्थ्य, सफ़ाई एवं पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

अन्य कार्यक्रम–

- अपने–अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित करने वाली महिलाओं का सम्मान– ऐसे कार्यक्रम अभिप्रेरणा का आधार बनते हैं तथा आत्म विश्वास का निर्माण करते हैं।
- विशिष्ट विषयों पर सेमीनारों का आयोजन जैसे उपभोक्ता संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, बालकों तथा युवाओं में संस्कार सृजन, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता इत्यादि।

कुल मिलाकर 'महिला सहभागिता' सम्पर्क सूत्र का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है जिसके लिये राष्ट्रीय स्तर से शाखा स्तर पर प्रभावी प्रयास करने होंगे क्योंकि इस प्रकल्प की सफलता पर परिषद के ''दम्पत्ति सदस्यता'' के दर्शन की सार्थकता पूर्ण होगी, परिषद के कार्यों का विस्तार होगा तथा महिला सदस्यों की ऊर्जा, क्षमता तथा कुशलता का समाज के लिये आयोजित सेवा एवं संस्कार कार्यक्रमों में लाभप्रद उपयोग हो सकेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि महिलाओं की अपनी समस्यायें भी हैं। आजकल एकल परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि महिलायें, परिषद् कार्य करना चाहें तो बच्चों की देखरेख एवं गृह कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिन परिवारों में बुज़ुर्ग साथ हैं वहां उनकी देखभाल व सेवा का दायित्व भी महिलाओं पर ही होता है। लेकिन यदि महिलायें अपने समय एवं कार्यों का उचित नियोजन करें तो वे राह–निकाल सकती हैं। क्योंकि परिषद् के कार्यक्रमों में १५ दिन या एक माह में एक या दो बार दो कुछ घण्टों का समय देना होता है। जो महिलायें अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों से किसी सीमा तक मुक्त हैं वे सहभागिता के लिये अधिक समय प्रदान कर सकती हैं। वास्तव में जिस देश की राष्ट्रपति महिला हों, केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की अध्यक्ष महिला हों, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हों, वहाँ भारत विकास परिषद के कार्यकलापों में महिलायें प्रभावी सहभागिता के रूप में नि:सन्देह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आवश्यकता है संकल्प की। अन्त में.....

यह एक प्राचीन उक्ति है कि स्त्री तथा पुरुष गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं जिनका समान गति तथा पूर्ण समन्वय के साथ चलना आवश्यक है। तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारु रूप से चल सकती है।

यह उक्ति केवल गृहस्थी के क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन के समस्त क्षेत्रों में लागु होती है। सेवा का क्षेत्र भी इसी समन्वय तथा सहभागिता की मांग करता है। यही कारण है कि भारत विकास परिषद् ने महिला सहभागिता को एक प्रमुख प्रकल्प के रूप में स्थान दिया है।

अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें:

भारत विकास परिषद्

भारत विकास भवन, बी.डी. ब्लाक, पावर हाउस के पीछे, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

फोन: 011-27313051, 27316049 फैक्स : 011-27314515 ई–मेल : bvp@bvpindia.com.

वेब साइट : www.bvpindia.com

भारत विकास परिषद् के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए परिषद् की वेबसाईट को देखें:– www.bvpindia.com

January-10 Printed by: Swaminarayan Printers 011-45606505, 9717225609